वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कार्यक्रम वार लाभान्वित लोगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

		लाभार्थियों की संख्या		
क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1.	ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं के लिए जागरुकता सृजन	46250	54400	8750
2.	पोषण कार्यक्रम	157520	157520	157520
3.	व्यस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के गहन पाठ्यक्रम	30375	30925	14925
4.	कामकाजी एवं रोगी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच	236875	234275	235500
5.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	4682	4885	153
6.	वार्षिक अनुदान	65951	61316	20667
7.	होलीडे होम	5265	5385	325
8.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	4945	4862	5575
9.	महिला मंडल	64010	64832	76163
10.	परिवार परामर्श केन्द्र	27634	21742	26352

बिहार में कल्याण योजनाएं

2167. श्री नागमणि : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में सभी कल्याण योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ;

(ख) कुल आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि का क्या किया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार सरकार को आबंटित राशि के ब्यौरे विवरण-क में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) कुछ योजनाओं के सम्बंध में उपयोग की गई राशि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, विवरण-ख में दी गई है ।

(ग) पिछले वर्ष (वर्षों) की उपयोग न की गई राशि, यदि कोई हो तो, बाद के वर्ष (वर्षों) में अनुदान की हकदारी से समायोजित/काट ली जाती है।

विवरण–क

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सभी कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित राशि

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
1.	अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	—	—	2678.62
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	—	57.60	266.78
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	16.99	5.00	5.53
4.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	—	—	46.54
5.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	—	—	75.00
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्यता में उन्नयन	—	—	—
7.	कोचिंग और सम्बद्ध	1.70	2.96	2.90
8.	सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को राष्ट्रीय मुक्ति और पुनर्वास योजना	—	—	—
9.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1341.75	990.75	990.75
10.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	22.00	84.46	16.08
11.	विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	—	—	2.83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	—	116.00	6.00
13.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान .	48.99	48.60	50.97
	अनूसूचित जनजातियों का कल्याण			
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता . .	1748.70	274.22	3364.00
2.	अनुच्छेद 245 (1) . .	725.25	725.25	725.00
3.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण .	10.63	14.73	—
4.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र . .	44.34	—	—
5.	लड़कियों के होस्टल . . .	—	—	—
6.	लड़कों के लिए होस्टल . .	—	—	—
7.	आश्रम स्कूल . . .	—	—	—
8.	राज्य टी डी सी सी	—	50.00	—
	विकलांग कल्याण			
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरणों खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना	19.09	19.45	24.61
2.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना . . .	44.42	58.48	48.82
3.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	—	—	—
4.	विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना .	5.37	2.24	4.99

1	2	3	4	5
5.	जनशक्ति के लिए प्रमस्तिष्क अंगघात और मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	—	—	—
समाज रक्षा				
1.	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	3.35	1.74	5.21
2.	बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना	—	—	—
3.	समाज रक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता की सामान्य सहायता अनुदान	—	—	—
4.	किशोर समाज कुसमंजन के निवारण और रोकथाम की योजना . . .	—	—	—
5.	भिक्षावृत्ति रोकथाम की योजना .	—	—	—
6.	नशीली दवा दुरूपयोग एवं रोकथाम की योजना	122.60	103.69	74.07
7.	शिशु गृह योजना . . .	—	—	—
अल्पसंख्यक कल्याण				
1.	परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना . .	21.46	15.09	—
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	—	—	—
3.	बहुक्षेत्रीय विकास योजना . .	—	3.00	—
पिछड़ा वर्ग कल्याण				
1.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम .	—	—	—

विवरण–ख

रुपए लाख में

क्र. सं.	योजना का नाम	1994–95 के दौरान उपयोग की गई राशि	1995–96 के दौरान उपयोग की गई राशि	1996–97 के दौरान उपयोग की गई राशि
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	351.00	अभी तक प्राप्त नहीं हुई	
2.	अस्वरुद व्यवसायों में लगे बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	प्राप्त नहीं हुई	64.79	अभी तक प्राप्त नहीं हुई
3.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	274.22	470.24	अभी तक प्राप्त नहीं हुई
4.	अनुच्छेद 275 (i)	227.63	अभी तक प्राप्त नहीं हुई	
5.	अनुसंधान एवं परीक्षण	10.63	अभी तक प्राप्त नहीं हुई	
6.	अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	9.23	अभी तक प्राप्त नहीं हुई	

Interest free loan to dalits through the SC/ST development Corporation

2168. SHRI J. CHITHARAJAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state the amount of money disbursed in various States as interest free loan to dalits through the National Scheduled Caste and Tribal Development Corporation during the year 1996-97 and the fresh quarter of 1997-98?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): No interest free loans have been disbursed by NSFDC in the said period. However, loans are given at low rate of interest i.e. 6 per cent for loan upto 5 lakh and 8.5 per cent for loans beyond 5 lakh. Figures of disbursed loans for 1996-97 and 1997-98 are given in the Statement.

Statement

Sl.	Year	Amount of loan (rupees in crores)
1.	1996-97	71.47
2.	1997-98 (upto 30.6.97)	10.50

Two Development agencies for some target groups

2169. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether several rural development schemes reserve a component of their scheme for the benefit of SC/ST and other weaker Sections;

(b) if so, why there is a need for Special Central Assistance to the